न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 133/2023 राजस्व वाद

दायर दिनांक 29.9.2022

1– श्री जगदीश पिता जगन्नाथ जाट निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा

-- वादी

बनाम

1– श्री मथुरा पिता देबी जाट निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा।

2– श्री सुवा पिता जगन्नाथ जाट निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा।

3– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

--प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 व 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः–

श्री भैरूलाल बापना अधिवक्ता–वादी

प्रतिवादी संख्या 01 से 2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

:: निर्णय ::

दिनांक– 26.03.2024

संक्षिप्त में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादी सं0 1 से 2 के विरूद्व प्रस्तुत कर अंकित किया है कि ग्राम रूपाहेली प0ह0 रूपाहेली भू. अ.नि.दांथल तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 212 में आराजी नम्बर 685/6 रकबा 0.9357 हैक्टेयर, आराजी संख्या 686/2 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, आराजी संख्या 687/2 रकबा 0.0379 हैक्टेयर कुल किता 03 रकबा 1.1001 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है। वर्ष 2020 में वादी आवश्यक कार्यवश बाहर चला गया था। मेरी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर प्रतिवादीगण ने मेरी खातेदारी की उक्त आराजी नं0 685/6, 686/2 व 687/2 किता 03 रकबा 1.1001 की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र संख्या 243/2020 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी जी भीलवाडा के न्यायालय में पेश किया था जिसमें दिनांक 07.07.2021 को पत्थरगढी किये जाने का आदेश पारित किया गया था। इस आदेश की पालना में श्रीमान तहसीलदार सा0(भू0अ0) भीलवाडा ने दिनांक 14.03.2022 को भू अभिलेख निरीक्षक दांथल को पत्र लिखकर वादी की उक्त आराजियात किता 03 रकबा 1.1001 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जिस पर दिनांक 14.07.2022 को भू0अ0नि0 दांथल मौके पर पत्थरगढी करने हेतु आये और उन्होने मुस्तकिल बिन्दु से जरीब चलाकर मौके पर पत्थरगढी की जिसका पर्चा मौका मौतबीरान की उपस्थिति में बनाया गया जिसके अनुसार वादी की खातेदारी आराजी नं0 685/6 रकबा 0.9357 हैक्टेयर भूमि के उत्तरी पूर्वी भाग में करीब 0.2529 हैक्टेयर (01 बीघा) भूमि पर प्रतिवादी संख्या 02 सुवालाल जाट ने तथा उत्तर पश्चिम में करीब 0.0189 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 मथूरा जाट का नाजायज कब्जा पाया गया। प्रतिवादी संख्या 02 सुवालाल ने कब्जा होने बाबत बताया कि इस भूमि का मै पडौसी हू तथा मेरी आराजी नं0 685/4 की भी पत्थरगढी हुई है जिसमें मेरी भूमि पर पडौसी काना मु. नारायण जाट निवासी रूपाहेली ने कब्जा कर रखा है, यदि काना से मुझे कब्जा मिल जायेगा तो इस भूमि पर में कब्जा छोड दूंगा। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने मुझ वादी की आराजी नं0

Ahad

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा

685/6 रकबा 0.9357 है0(3 बीघा 14 बिस्वा) में उक्तानुसार कब्जा कर रखा है। भू अभिलेख निरीक्षण दांथल ने मुझे हिदायत दी कि विवादित आराजी का कब्जा प्राप्ति के लिये सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करे इस कारण से कब्जेयाबी आराजियात का यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रतिवादीगण को मेरी उक्त आराजी में नाजायज कब्जा करने का कोई अधिकार नही है जिससे बेदखली आराजी की डिक्री मुझ वादी के पक्ष में पारित करायी जाकर मेरी आराजी नं0 685/6 रकबा 0.9357 हैक्टेयर के उत्तरी पूर्वी भाग में करीब 0.2529 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के द्वारा नाजायज कब्जा कर रखा है वह नाजायज कब्जा हटाया जाकर मुझ वादी का पुनः आधिपत्य कराया जावे और प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे कि वे भविष्य में मुझ वादी के अधिकार आधिपत्य की इस आराजी नं0 685/6 रकबा 0.9357 हैक्टेयर के किसी भी भाग पर से मुझ वादी को न तो बेदखल करे न इस भूमि पर कोई अतिक्रमण करे। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 से लगायत 02 इस आशय की जारी फरमायी जावे कि ग्राम रूपाहेली प0ह0 रूपोहली की आराजी संख्या 685/6 रकबा 0.9357 हैक्टेयर भूमि में से उत्तरी पूर्वी भाग में करीब 0.2529 हैक्टेयर (01 बीघा) भूमि पर प्रतिवादी संख्या 02 सुवालाल जाट ने तथा उत्तर पश्चिम में करीब 0.0189 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 मथूरा जाट को बेदखल करते हुए कब्जा पुनः वादी को सिपुर्द किया जाने की प्रार्थना की गई।

वादी का वाद पत्र पंजीबद्व किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। वादी के बयान कलमबद्व कराये गये दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये।

वकील वादी की बहस सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी ने वादपत्र में वर्णित बिन्दुओ को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादी की ग्राम रूपाहेली प0ह0 रूपाहेली भू.अ.नि.दांथल तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 212 में आराजी नम्बर 685/6 रकबा 0.9357 हैक्टेयर, आराजी संख्या 686/2 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, आराजी संख्या 687/2 रकबा 0.0379 हैक्टेयर कुल किता 03 रकबा 1.1001 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है। आराजी संख्या 685/6 रकबा 0.9357 हैक्टेयर भूमि में से उत्तरी पूर्वी भाग में करीब 0.2529 हैक्टेयर (01 बीघा) भूमि पर प्रतिवादी संख्या 02 सुवालाल जाट ने तथा उत्तर पश्चिम में करीब 0.0189 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 मथूरा जाट का नाजायज अनाधिकृत कब्जा है। कब्जेयाबी की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 02 जारी कराई जावे।

:: राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 इस प्रकार है ::

<u>183 कतिपय अतिक्रमीयो की बेदखली :–</u>

(1) इस अधिनियम के किसी उपबंध में कोई विपरित बात अन्तर्विष्ट होते हुए भी कोई अतिक्रमी जिसने किसी भूमि को कब्जे में बिना वैध अधिकार के ले लिया है या रखा है(उस व्यक्ति या उक्त व्यक्तियो के वाद पर जो उसे आसामी के रूप में "बेदखली" करने के हकदार है) उपधारा 2 उपबंधो के अधिन रहते हुए बेदखली का भागी होगा और साथ ही प्रत्येक कृषि वर्ष जिसमें उसने पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ भाग में इस प्रकार कब्जा रखा हो, के लिए शास्ति के तौर पर ऐसी रकम देना का भी भागी होगा जो वार्षिक लगान के 15 गुना तक हो सकती है।

(2) ऐसी भूमि जो सीधे राज्य सरकार से लेकर धारण की हुई हो या जिस पर राज्य सरकार तहसीलदार की मार्फत अतिक्रमी को आसामी के रूप में स्वीकार करने की

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

हकदार है तहसीलदार राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956(राजस्थान एक्ट 15 सन् 1956) की धारा 91 उपबंधो के अनुसरण में कार्यवाही करने को अग्रसर होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, वकील वादी की बहस पर मनन् किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का भली भांती परीक्षण किया गया। वादी के वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पत्थरगढी पर्चा मौका दिनांक 14.7.2022 के अनुसार ग्राम रूपाहेली प0ह0 रूपाहेली भू0अ0नि0 दांथल तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी संख्या 685/6 के उत्तर पूर्वी भाग में करीब 01 बीघा भूमि पर पडौसी प्रतिवादी संख्या 02 सुवालाल पिता जगन्नाथ जाट निवासी रूपाहेली तथा उत्तर पश्चिम में करीब डेढ बिस्वा भूमि पर पडौसी प्रतिवादी संख्या 01 मथुरा पिता देबी जाट निवासी रूपाहेली का अनाधिकृत कब्जा सिद्ध होने से वादी का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी 01 से लगायत 02 के स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएवं

:: आदेश ::

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183–188 आरटीए का स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 02 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रूपाहेली प0ह0 रूपाहेली भू.अ.नि.दांथल तहसील व जिला भीलवाडा 685/6 रकबा 0.9357 हैक्टेयर भूमि मे से उत्तर पूर्वी भाग में करीब 01 बीघा भूमि पर पडौसी प्रतिवादी संख्या 02 सुवालाल पिता जगन्नाथ जाट निवासी रूपाहेली तथा उत्तर पश्चिम में करीब डेढ बिस्वा भूमि पर पडौसी प्रतिवादी संख्या 01 मथुरा पिता देबी जाट निवासी रूपाहेली का अनाधिकृत पाया जाने से अनाधिकृत कब्जे को हटाये जाने हेतु तहसीलदार भीलवाडा को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार भीलवाडा प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 02 अतिक्रमी को राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत बेदखल करे, तथा प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 02 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जेकाश्त में दखल अन्दाजी न तो स्वंय करे ना ही किसी अन्य से करावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे। तदनुसार डिकी जारी हो।

Ahad

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

1– श्री जगदीश पिता जगन्नाथ जाट निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा।

–– वादी

बनाम

1– श्री मथुरा पिता देबी जाट निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा।
2– श्रीसुवा पिता जगन्नाथ जाट निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा।
3– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

––प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 व 188 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 133/2022 राजस्व वाद

वादी की ओर से अधिवक्ता भैरूलाल बापना उपस्थित व प्रतिवादीगण में– इस वाद में आज तारीख 26.03.2024 को पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है।

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183–188 आरटीए का स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 02 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रूपाहेली प0ह0 रूपोहली भू0अ0नि0 दांथल तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी संख्या 685/6 रकबा 0.9357 हैक्टेयर भूमि में से उत्तर पूर्वी दिशा भाग में करीब 01 बीघा भूमि पर पडौसी प्रतिवादी संख्या 02 सुवालाल पिता जगन्नाथ जाट निवासी रूपाहेली तथा उत्तर पश्चिम में करीब डेढ बिस्वा भूमि पर पडौसी प्रतिवादी संख्या 01 मथुरा पिता देबी जाट निवासी रूपाहेली का अनाधिकृत कब्जा पाया जाने से अनाधिकृत कब्जे को हटाये जाने हेतु तहसीलदार भीलवाडा को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार भीलवाडा प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 02 अतिक्रमी को राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत बेदखल करे, तथा प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 02 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जेकाश्त में दखल अन्दाजी न तो स्वंय करे ना ही किसी अन्य से करावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आज दिनांक 26.03.2024 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा